

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुंवारिया राजसमन्द (31357) जिला राजसमन्द
— प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्री कन्हैया लाल दशोरा पुत्र श्री राम लाल दशोरा पत्ता : ग्राम माली खेडा, दशोरा मोहल्ला, पोस्ट गोगाथला, रेलमगरा राजसमंद वाय कुरज, जिला राजसमंद (राज.) 313328

— अप्रार्थीगण/ऋणी/जमानतदार

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 14/2024

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 02.05.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुंवारिया राजसमन्द ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्री कन्हैया लाल दशोरा को रूपये 19,53,000/- एवं रूपये 4,00,000/- का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- अचल सम्पत्ति :- आवासीय सम्पत्ति भुमि एवं भवन जो पट्टा न. 6258, दिनांक 29.03.2011, राजस्व ग्राम माली खेडा, ग्राम पंचायत गोगाथला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो श्री कन्हैया लाल दशोरा पुत्र श्री राम लाल दशोरा के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1628 वर्ग फिट है, जिसके पड़ोस निम्न हैं पूर्व : पुरषोतम लाल दशोरा का मकान, पश्चिम : गोपी लाल दशोरा की सम्पत्ति, उत्तर : रास्ता, दक्षिण : गणेश दशोरा का खेत। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 03.11.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 08.11.2023 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये 23,36,251/- दिनांक 03.03.2023 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय</p>	



24/100

आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 08.11.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने श्री कन्हैया लाल दशोरा पुत्र श्री राम लाल दशोरा पता : ग्राम माली खेड़ा, दशोरा मोहल्ला, पोस्ट गोगाथला, रेलमगरा राजसमंद वाय कुरज, जिला राजसमंद (राज.) को रूपये 19,53,000/- एवं रूपये 4,00,000/- का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों /जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :-
अचल सम्पत्ति :- आवासीय सम्पत्ति भूमि एवं भवन जो पटा न. 6258, दिनांक 29.03.2011, राजस्व ग्राम माली खेड़ा, ग्राम पंचायत गोगाथला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो श्री कन्हैया लाल दशोरा पुत्र श्री राम लाल दशोरा के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1628 वर्ग फिट है, जिसके पड़ोस निम्न हैं पूर्व : पुरषोतम लाल दशोरा का मकान, पश्चिम : गोपी लाल दशोरा की सम्पत्ति, उत्तर : रास्ता, दक्षिण : गणेश दशोरा का खेत।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुंवारीया के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुंवारीया को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



hulla
(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द